

कार्यालय आदेश संख्या 22/18

महाप्रबन्धक (का0) गोरखपुर के पत्र सं0 का/283/12/पार.स्था./अं.म./IX/लूज दि0 31.07.17 द्वारा श्री सन्तोष कुमार शाह पुत्र सुरेन्द्र शाह, खलासी (5200-20200+1800 ग्रेड पे, लेबल-1) अधीन उप मुख्य सामग्री प्रबन्धक डिपो/गोरखपुर, पूर्वोत्तर रेलवे का उनके स्वयं के अनुरोध पर श्री विनोद कुमार चौरसिया पुत्र सोहरत चौरसिया खलासी हैल्पर /विद्युत(5200-20200+1800 ग्रेड पे, लेबल-1) अधीन सीसेई विद्युत/छपरा, वाराणसी मण्डल पूर्वोत्तर रेलवे के साथ पारस्परिक स्थानान्तरण पर सक्षम अधिकारी ने अनुमोदन प्रदान किया है, जिसके आलोक में सीसेई/विद्युत/गाडी प्रकाश /छपरा ने पत्र सं0 वि/283/गा.प्र./छपरा दि0 15.02.18 द्वारा श्री विनोद कुमार चौरसिया हेल्पर गा.प्र. को विरमित कर इस कार्यालय को भेजा गया है। अतः श्री विनोद कुमार चौरसिया गा.प्र. हेल्पर, वाराणसी मण्डल को उप मुख्य सामग्री प्रबन्धक डिपो /गोरखपुर, पूर्वोत्तर रेलवे हेतु विरमित किया जाता है। वर्तमान में कर्मचारी के विरूद्ध एसपीई/विज/डीएआर से सम्बन्धित कोई मामला लम्बित नहीं है। कर्मचारी के पक्ष में निम्न अवकाश एवं सुविधा देय है:-

अर्जित अवकाश	128 दिन
अर्धवैतनिक अवकाश	92 दिन
आकस्मिक अवकाश	08 दिन
सुविधा पास	01 सेट
सुविधा टिकट	04 सेट

उपरोक्त पर सक्षम अधिकारी वमविई/सामान्य वाराणसी का आदेश प्राप्त है। कर्मचारी का फोटो एवं हस्ताक्षर प्रमाणित किया जाता है।



विनोद कुमार चौरसिया



सहायक प्रबन्धक अधिकारी
कृते मण्डल रेल प्रबन्धक (का0)
वाराणसी

सं0 ई/एल/283/अरे.अम./स्था./16(लूज)

दिनांक 16.02.18

प्रतिलिपि- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. वमविप्र, वमविई/सा./वाराणसी
2. उप मुख्य सामग्री प्रबन्धक डिपो/गोरखपुर
3. मुकार्याधी/विविध बिल
4. कार्यालय आदेश पुस्तिका
5. सम्बन्धित कर्मचारी
6. मण्डल मन्त्री/नरमू, अजा अजजा एसो./वाराणसी

सहायक प्रबन्धक अधिकारी
कृते मण्डल रेल प्रबन्धक (का0)
वाराणसी